कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 765 /2017/रायगढ़, दिनांक – 07/03/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 35.413 ha. of Reserve forests and Revenue Forest land in favour of General Manager, NTPC, Talaipali for Construction of MGR railway line from Kotarliya to Lara in Raigarh Forest Division in Raigarh District in the State of Chhattisgarh -regarding.**

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/CH-39/2016-NGP/1320 दिनांक 03.02.2017 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /भू–प्रबंध/विविध/115–356 /450 दिनांक 20.02.2017

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत एम.जी.आर. रेल्वे लाईन हेतु (कोतरलिया से लारा) 35.413 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxxi) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन आवेदन संरथान से प्राप्त कर निम्नानुसार है :–

S.N.	Conditions	Compliance Status
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	वन भूमि का वैधानिक स्वरुप अपरिवर्तित रहेगा, संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दी गई है। Annex-I
(ii)	Compensatory afforestation, over degraded forest land, equal in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the user Agency.	आवेदित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वनभूमि में प्रस्तावित 70.826 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर से सिंचित रोपण योजनानुसार राशि रुपये 4,25,11,323/– (रुपये चार करोड़ पच्चीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ तेईस मात्र) कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल के चालान के माध्यम से आर.टी.जी.एस. क्रमांक SBINR/52017033000078225 दिनॉक 30.03.2017 को संस्थान के द्वारा जमा किया जा चुका है। रसीद की छायाप्रति संलग्न। Annex-D
(iii)	The user Agency is shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the	आवेदित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वनभूमि में प्रस्तावित 70.826 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर से

	current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	सिंचित रोपण योजनानुसार राशि रुपये 4,25,11,323/– (रुपये चार करोड़ पच्चीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ तेईस मात्र) कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल के चालान के माध्यम से आर.टी.जी.एस. क्रमांक SBINR/52017033000078225 दिनॉक 30.03.2017 को संस्थान के द्वारा जमा किया जा चुका है। रसीद की छायाप्रति संलग्न। Annex D
(iv)	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) में आंकलित राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के आदेशानुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5–3/2007–FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली 14.330 हे. की वन भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास–III ओपन फॉरेस्ट अनुसार प्रति हे. 8.03 लाख अनुसार राशि रूपये 1,15,06,990/– एवं 21.083 हे. खुला वन भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास–III ओपन फॉरेस्ट अनुसार प्रति हे. 6.26 लाख अनुसार राशि रूपये 1,31,97,958/– कुल राशि रूपये **2,47,04,948/–** (दो करोड़ सैतालिस लाख चार हजार नौ सौ अड़चालिस) कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल के चालान के माध्यम से आर.टी.जी.एस. क्रमांक SBINR/52017033000078225 दिनॉक 30.03.2017 को संस्थान के द्वारा जमा किया जा चुका है। रसीद की छायाप्रति संलग्न। Annex-D
(v)	At the time of payment of Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रुप देने के पश्चात यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है, को जमा करेंगें। इस आशय का संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annex-1
(vi)	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the saving Bank Account pertaining to State concerned.	उपरोक्तानुसार समस्त राशि Ad-hoc CAMPA कारपोरेशन बैंक के खाते में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है।

(vii)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	एन.टी.पी.सी. पावर प्रोजेक्ट हेतु पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त की गई है। छायाप्रति संलग्न है। Annexure F
(viii)	No labour camp shall be established on the forest land.	संस्थान के द्वारा वन क्षेत्र में कोई लेबर कैम्प स्थापित नही किया जावेगा, इस हेतु वचन पत्र संलग्न है। Annex-II
(ix)	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	उद्योग इकाई द्वारा श्रमिकों को इंधन उपलब्ध करायेगा ताकि वनस्पिति को किसी प्रकार का नुकसान न हों । सहमत है । इस हेतु वचन पत्र संलग्न है। Annex-III
(x)	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किया जावेगा। सहमत है। इस हेतु वचन पत्र संलग्न है। Annex-IV
(xi)	The Layout Plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	ले आउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचन पत्र संलग्न है। Annex-V
(xii)	The forest land shall not to be used for any purpose other than specified in the proposal.	वन भूमि का उपयोग इसी परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य परियोजना में नही किया जावेगा। सहमत है । इस हेतु वचन पत्र संलग्न है। Annex-VI
(xiii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of Central Government.	भारत सरकार के अनुमति के बगैर प्रस्तावित व्यपवर्तित भूमि का किसी व्यक्ति , विभाग या एजेंसी को ट्रांसफर नही किया जावेगा । सहमत है । इस हेतु वचन पत्र संलग्न है । Annex-VII
(xiv)	No Damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	नजदीक के फ्लोरा एवं फौना को मजदूरों और खनन कार्य से जुड़े कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुचाया जावेगा । सहमत है। इस हेतु वचन पत्र संलग्न है। Annex-VIII
(xv)	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है। Annex-IX
(xvi)	The user agency in consultation with the State Government shall create and	एन.टी.पी.सी. द्वारा संबंधित कार्य बिलासपुर विश्वविद्यालय को अवार्ड किया गया है। अवार्ड पत्र

	maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nest artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest being diverted for the project.	की छायाप्रति संलग्न है। Annex-X
(xvii)	A Wildlife Conservation plan for the habitat improvement, protection and conservation of Wildlife in the area shall be prepared and implemented at the project cost by State Government in consultation with the PCCF (Wildlife), Government of Maharashtra.	संस्थान द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण हेतु आवश्यक राशि रू. 205 लाख कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल के चालान के माध्यम से आर.टी.जी.एस. क्रमांक SBINR/52017033000078225 दिनॉक 30.03. 2017को संस्थान के द्वारा जमा किया जा चुका है। रसीद की छायाप्रति संलग्न। Annex-D
(xvii)	Number and locations of underpasses, if required, as per the final Wildlife management plan to be approved by the PCCF (Wildlife), Chhattisgarh, shall be constructed by the user agency during the project construction phase and a report on the same support with appropriate maps clearly providing attributes related to their location such as geographical coordinates, chainage etc shall be submitted along with the compliance report.	आवश्यकता नहीं है।
(xix)	Patch of 3.33 ha of forest land which will be created as a result of fragmentation of bigger forest block of 265.33 ha in Compartment no. 1007 shall be fenced and afforested at the cost of user agency.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है। Annex-XI
(xx)	The under agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of such measures may be submitted along with the compliance report.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है। Annex-XX

C:\Users\DFO9\Desktop\New Folder\NTPC_35.413 ha..doc

(xxi)	The State government shall ensure controlled speed limit if the trains passing through the forest portion to enable the trains drivers to react to the sudden appearance of the wild animals on the track. As and when required, speed of train shall be regulated in consultation with Chief Wildlife Warden of the State Government.	
(xxii)	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/ canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water logging, and also does not hamper movement of wild animals.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है। Annex- XII
(xxii)	The reclamation of quarry, if any, should be done under the supervision of State Forest Department. The Quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है। Annex- XIII
(xxiv)	The user agency will provide retaining wall, breast wall and drainage as per requirement to make the slope stable.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है। Annex- XIV
(xxv)	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF.	आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् किसी भी हितग्राही को पट्टा प्रदाय नहीं किया गया है।
(xxvi)	Forest land shall not be used for any kind of quarrying and muck to be generated during the construction of railway line shall be dumped with the permitted RoW.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है।
(xxvii)	The user agency shall submit the half yearly selfcompliance report is respect of the above conditions on 31st July and	आवेदक संस्थान अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु वचनबद्ध है। इस हेतु वचन पत्र संलग्न है।

	31st December every year to the State Government and to the concerned Regional office of the ministry regularly.	
(xxviii	The State Government shall ensure compliance of the above mentioned conditions and an annual report on the same shall be submitted on 31st December every year.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है।
(xxix)	Any other conditions that the concerned regional office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest and wildlife.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है।
(xxx)	The user agency and the State government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है।
(xxxi)	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF & CC's Guidelines dated 07.01.2015.	

उपरोक्तानुसार अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा पूर्ण कर ली गई है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न :– (1) पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र।
(2) कैम्पा पत्रक।
(2) एन.पी.व्ही. गणना पत्रक।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 765 /2017/रायगढ़, दिनांक – /07/2017

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, घरघोड़ा जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ वनमण्डल, रायगढ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 936 /2017/रायगढ़, दिनांक – 12/05/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 35.413 ha. of Reserve forests and Revenue Forest land in favour of General Manager, NTPC, Talaipali for Construction of MGR railway line from Kotarliya to Lara in Raigarh Forest Division in Raigarh District in the State of Chhattisgarh -regarding.**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/तक./2959 दिनांक 13.04.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत एम.जी.आर. रेल्वे लाईन हेतु (कोतरलिया से लारा) 35.413 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जिसमें की गई आपत्तियों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :–

1) शर्त क्रमांक (x) अनुसार आवेदित क्षेत्र को 4 फीट ऊंची आर.सी.सी. पील्लर से सीमांकन करने हेतु राशि रूपये 18,85,198/– (रूपये अठारह लाख पचासी हजार एक सौ अनठानवे) आवेदक संस्थान से प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा किया गया है।
2) दिनांक 04.05.2017 को स्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें निम्नानुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित है :–
   a. एम.जी.आर. रेल लाईन गजमार पहाड़ (कक्ष क्रमांक 1007) को काटले हुए चैनेज क्रमांक 11825 से 13625 Cross कर रही है, जिसमें पहाड़ी में 8 से 25 मी. तक Cutting है एवं Side Slope 0.5 : 1 है। उक्त क्षेत्र भालू का विचरण क्षेत्र है एवं उनके उतरने के लिये सुरक्षित नहीं है। जिसके कारण भालू के आवागमन को रोकने हेतु 2 मी. ऊंचा फेंसिंग करना प्रस्तावित है। (मानचित्र में चिन्हांकित कर संलग्न है)
   b. भालू के आवागमन हेतु 04 अंडरपास प्रस्तावित है

Br-No	Type of Bridge	Latitute	Longitute	Xing Type
Br-38	1x4.0x4.0 m RCC Box	21°49'11.25"N	83°29'19.62"E	Nala Xing
Br-39A	2x8.0x8.0 m RCC Box	21°49'0.13"N	83°29'33.03"E	Animal Xing
Br-46	2x2.0x2.5 m RCC Box	21°48'29.40"N	83°29'17.52"E	Nala Xing
Br-47	1x6.0x5.5 m RCC Box	21°48'25.21"N	83°29'15.18"E	Rub-Road Xing

   c. उपरोक्त सेक्सन के 2 किमी. पूर्व एवं 2 किमी. बाद ट्रेन की गति सीमा निर्धारित करना प्रस्तावित है, जिसमें यदि समपार में भालू पार करें तो वक्त रहते उसे देखकर सुरक्षित पार करने दिया जा सके।
   d. पानी को ट्रैक में आने से रोकने के लिये आवेदक संस्थान द्वारा नाली का निर्माण किया जावेगा तथा इसी नाली के बीच बीच में डबरी का निर्माण संस्थान के व्यय में किया जाना प्रस्तावित है।

3) शर्त क्रमांक (xix) अनुसार 3.330 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं फेन्सिंग कार्य हेतु राशि रूपये 19,98,739/– (रूपये उन्नीस लाख अनठानबे हजार सात सौ उनचालीस) आवेदक संस्थान से प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा किया गया है।

4) शर्त क्रमांक (xx) अनुसार भू–जल संरक्षण कार्य हेतु राशि रूपये 2,24,040/– (रूपये दो लाख चौबीस हजार चालीस) आवेदक संस्थान से प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा किया गया है।

शर्त क्रमांक xvii के पालन में प्रस्तावित क्षेत्र में Schedule-1 के वन्यप्राणी भालू पाये जाने के फलस्वरूप राशि रू. 205 लाख संस्थान द्वारा पूर्व में जमा किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर के पृ. क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध –394/17/2514 दिनांक 02.05.2017 द्वारा द्वारा राशि रू. 253 लाख जमा करने का निर्देश प्राप्त होने पर आवेदक संस्थान द्वारा अंतर की राशि रू. 48,00,000/– (रुपये अड़चालीस लाख) मात्र कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल के चालान के माध्यम से चालान जनरेट कर आर.टी.जी.एस. क्रमांक SBINR52017051200023552 दिनॉक 12.05.2017 को संस्थान के द्वारा जमा किया गया है। रसीद की छायाप्रति एवं कैम्पा पत्रक संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 937 /2017/रायगढ़, दिनांक – 12/05/2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, घरघोड़ा जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 989 /2017/रायगढ़, दिनांक – 24/05/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of 35.413 ha. of Reserve forests and Revenue Forest land in favour of General Manager, NTPC, Talaipali for Construction of MGR railway line from Kotarliya to Lara in Raigarh Forest Division in Raigarh District in the State of Chhattisgarh -regarding.**

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./936 दिनांक 12.05.2017 एवं आपका दूरभाष दिनांक 22.05.2017 को दिये गये निर्देशानुसार

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत एम.जी.आर. रेल्वे लाईन हेतु (कोतरलिया से लारा) 35.413 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जिसमें की गई आपत्तियों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :–

1) शर्त क्रमांक (x) अनुसार आवेदित क्षेत्र को 4 फीट ऊंची आर.सी.सी. पील्लर से सीमांकन करने हेतु राशि रूपये 18,85,198/– (रूपये अठारह लाख पचासी हजार एक सौ अनठानबे) आवेदक संस्थान से प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा किया गया है।
2) दिनांक 04.05.2017 को स्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें निम्नानुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित है :–
   a. एम.जी.आर. रेल लाईन गजमार पहाड़ (कक्ष क्रमांक 1007) को काटते हुए चैनेज क्रमांक 11825 से 13625 Cross कर रही है, जिसमें पहाड़ी में 8 से 25 मी. तक Cutting है एवं Side Slope 0.5 : 1 है। उक्त क्षेत्र भालू का विचरण क्षेत्र है एवं उनके उतरने के लिये सुरक्षित नहीं है। जिसके कारण भालू के आवागमन को रोकने हेतु 2 मी. ऊंचा फेंसिंग करना प्रस्तावित है। (मानचित्र में चिन्हांकित कर संलग्न है)
   b. भालू के आवागमन हेतु 02 अंडरपास प्रस्तावित है

Br-No	Type of Bridge	Latitute	Longitute	Xing Type
Br-38A	1X5.0X5.0 m RCC Box	21°49'24"N	83°29'10"E	Underpass for animal movement
Br-39A	2x8.0x8.0 m RCC Box	21°49'0"N	83°29'33"E	Overpass for animal movement

c. उपरोक्त सेक्सन के 2 किमी. पूर्व एवं 2 किमी. बाद ट्रेन की गति सीमा निर्धारित करना प्रस्तावित है, जिसमें यदि समपार में भालू पार करें तो वक्त रहते उसे देखकर सुरक्षित पार करने दिया जा सके।

d. पानी को ट्रैक में आने से रोकने के लिये आवेदक संस्थान द्वारा नाली का निर्माण किया जावेगा तथा इसी नाली के बीच बीच में डबरी का निर्माण संस्थान के व्यय में किया जाना प्रस्तावित है।

3) शर्त क्रमांक (xix) अनुसार 3.330 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं फेन्सिंग कार्य हेतु राशि रूपये 19,98,739/– (रूपये उन्नीस लाख अनठानबे हजार सात सौ उनचालीस) आवेदक संस्थान से प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा किया गया है।

4) शर्त क्रमांक (xx) अनुसार भू–जल संरक्षण कार्य हेतु राशि रूपये 2,24,040/– (रूपये दो लाख चौबीस हजार चालीस) आवेदक संस्थान से प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा किया गया है।

शर्त क्रमांक xvii के पालन में प्रस्तावित क्षेत्र में Schedule-1 के वन्यप्राणी भालू पाये जाने के फलस्वरूप राशि रू. 205 लाख संस्थान द्वारा पूर्व में जमा किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर के पृ. क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध –394/17/2514 दिनांक 02.05.2017 द्वारा द्वारा राशि रू. 253 लाख जमा करने का निर्देश प्राप्त होने पर आवेदक संस्थान द्वारा अंतर की राशि रू. 48,00,000/– (रूपये अड़चालीस लाख) मात्र कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल के चालान के माध्यम से चालान जनरेट कर आर.टी.जी.एस. क्रमांक SBINR52017051200023552 दिनॉक 12.05.2017 को संस्थान के द्वारा जमा किया गया है। रसीद की छायाप्रति एवं कैम्पा पत्रक संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 990 /2017/रायगढ़, दिनांक – 24/05/2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, घरघोड़ा जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़